

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

विज्ञप्ति संख्या : पी.आर. / 2023

ERC NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्रदत्त सरकारी एवं निजी प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रशिक्षण सत्र 2023-25 में नामांकन के संबंध में डी०एल०एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2023 उत्तीर्ण विद्यार्थियों एवं संबंधित प्राचार्य के लिये आवश्यक सूचना।

दिनांक 05.06.2023 से 15.06.2023 तक की अवधि में आयोजित डी०एल०एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के परीक्षाफल (Score Card) के आधार पर राज्य अन्तर्गत डी०एल०एड० कोर्स संचालित ERC NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्रदत्त सरकारी एवं निजी प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रशिक्षण सत्र 2023-25 में ऑनलाइन प्रणाली से नामांकन किये जाने की कारवाई की जा रही है। नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क तथा महाविद्यालय का विकल्प प्राथमिकता के आधार पर भरने हेतु दिनांक 30.10.2023 से 05.11.2023 तक की तिथि निर्धारित की गई है। अतः उक्त कोटि के प्रशिक्षण संस्थानों में डी०एल०एड० पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु इच्छुक एवं डी०एल०एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2023 में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण विद्यार्थी दिनांक 30.10.2023 से 05.11.2023 तक की अवधि में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना सुनिश्चित करेंगे। आवेदक द्वारा Common Application form (CAF) भरकर आवेदन पूर्ण किया जाएगा। निबंधित मोबाईल संख्या पर OTP डालने पर आवेदन स्वीकार होगा। आवेदक का आई.डी. उनका रोल नं. एवं पासवर्ड जन्म तिथि आधारित होगा। ऑनलाइन आवेदन हेतु समिति का पोर्टल <https://deledbihar.com> उक्त अवधि में खुला रहेंगा।

2. प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता :-

- उच्च माध्यमिक (+2) अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक से उत्तीर्ण।
- सभी आरक्षित कोटि एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम निर्धारित अंकों में 5% छूट होगी।
- निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-12/विविध-11/2016 (अंश) -715 दिनांक 13.12.2022 के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्री, पॉलीटेक्निक, आई.टी.आई. या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं, वे डी०एल०एड० कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी ने 10+2 में वोकेशनल कोर्स के अन्तर्गत योग्यता हासिल की है अथवा जिन्होंने मध्यमा के बाद इण्टर 10+2 अथवा फोकानिया के बाद इण्टर, 10+2 की योग्यता हासिल की है वे डी०एल०एड० कोर्स में नामांकन के पात्र होंगे।
- डी०एल०एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2023 में उत्तीर्ण।

नोट : डी०एल०एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2023 हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या पी०आर० 25/2023 की कंडिका 2 (iii) के माध्यम से उक्त परीक्षा में इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2023 में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को भी सम्मिलित होने की अनुमति दी गई थी। चूंकि डी०एल०एड० संस्थानों में नामांकन हेतु उम्मीदवारों को उच्च माध्यमिक (+2) अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों से (सभी आरक्षित कोटि एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम निर्धारित अंकों में 5 प्रतिशत छूट) उत्तीर्ण होना आवश्यक है, अतः इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा, 2023 में उपर्युक्त निर्धारित प्राप्तांक प्रतिशत से कम प्राप्तांक प्राप्त परीक्षार्थी डी०एल०एड० संस्थानों में

ॐ

ॐ

ॐ



नामांकन हेतु तथा तदनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने हेतु पात्र नहीं है, भले ही वे डी0एल0एड0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2023 में उत्तीर्ण घोषित हुए हों।

3. उम्र सीमा (Age Limit) :- अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र सीमा 17 वर्ष (नामांकन वर्ष के प्रथम माह की प्रथम तिथि को) सभी कोटि के लिए।

4. आरक्षण (Reservation)

4.1 ऊर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation) : डी0एल0एड0 (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में) प्रवेश में अनुसूचित जातियों (S.C.), अनुसूचित जन जातियों (S.T.), पिछड़ा वर्ग (B.C.), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (E.B.C.), पिछड़े वर्ग की महिलाओं (W.B.C.) एवं आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों (E.W.S.) के पक्ष में क्रमशः 16 प्रतिशत, 01 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 03 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण बिहार सरकार की अधिसूचना/शासनादेश के अनुसार देय होगा।

4.2 क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) :


(i) सरकारी नियमानुसार कुल स्वीकृत सीटों में से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पाँच प्रतिशत (5%), स्वतंत्रता सेनानी के नाती/नतिनी/पोता/पोती के अभ्यर्थी को दो प्रतिशत (2%), बिहार राज्य के निवासी सेवारत/सेवानिवृत्त/दिवंगत/भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के आश्रित पुत्र/आश्रित अविवाहित पुत्री को पाँच प्रतिशत (5%) क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(ii) उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित होगा। क्षैतिज आरक्षण के रूप यह आरक्षण लागू होगा, परंतु यह आरक्षण लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा, जिन्होंने +2 स्तर की परीक्षा में उर्दू विषय के साथ उत्तीर्णता हासिल की है।

(iii) सभी संस्थानों में कुल सीट का 50 प्रतिशत विज्ञान तथा 50 प्रतिशत कला/वाणिज्य के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा, परन्तु तीसरे दौर के नामांकन के बाद किसी स्थान में विज्ञान विषय के आरक्षित स्थान में रिक्तियाँ शेष रह जाती है ओर विज्ञान विषय में नामांकन के लिए कोई उम्मीदवार शेष नहीं रहा जाता है तो उन रिक्तियों को कला एवं वाणिज्य के अभ्यर्थियों से और ठीक इसी तरह अगर कला एवं वाणिज्य विषय के लिए अरक्षित स्थान में रिक्तियाँ रह जाती है और इस विषय में नामांकन के लिए कोई अभ्यर्थी शेष नहीं रही रह जाता है तो विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों का नामांकन रिक्ति स्थानों पर हो सकता है।

5. ERC NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्रदत्त राज्य के निजी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रभावी प्रावधान :- विभागीय पत्रांक 12/विविध-11/2016(अंश-1)-07 दिनांक 06.01.2023 में अंकित है कि "The Bihar (In Admission in educational Institution) Reservation Act 2003 के अनुसार "To provide for adequate representation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes in Admission at all levels and in all kinds of educational Institutions such as General, Technical, Non-Technical, Commercial, etc. either fully or partially aided by the state Government." अर्थात् डी0एल0एड0 कोर्स संचालित राज्य से पूर्णतः या अंशतः वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों में ही आरक्षण का प्रावधान प्रभावी है।

6. निजी प्रशिक्षण संस्थानों में दो वर्षीय डी0एल0एड0 कोर्स के लिए अधिकतम शुल्क :- संयुक्त सचिव, शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, पटना के ज्ञापांक 12/प्रशिक्षण-01/2016(अंश-1)- 343 दिनांक 03.07.2023 द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से राज्य के गैर-सरकारी स्व-वित्तपोषित प्रशिक्षण संस्थानों में दो वर्षीय डी0एल0एड0 कोर्स के लिए शैक्षणिक सत्र 2023-25 से प्रति छात्र अधिकतम 60,000/- (साठ हजार) रुपये वार्षिक शुल्क तथा







कुल दो वर्ष के सम्पूर्ण कोर्स हेतु प्रति छात्र अधिकतम 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) रुपये मात्र शुल्क निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त निर्धारित शुल्क अधिकतम है। शुल्क निर्धारण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा डी0एल0एड0 कोर्स के लिए शिक्षक एवं शिक्षकोत्तर कर्मियों की निर्धारित आवश्यक संख्या के आधार पर हुआ है। अतः वेतनादि पर कम व्यय होने पर नामांकन शुल्क के रूप में ली जाने वाली राशि उसी अनुपात में कम हो जाएगी जिस अनुपात में व्यय कम होगा। इस शुल्क संरचना को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्ध उक्त कोटि के संस्थानों द्वारा लागू किया जाना बाध्यकारी है। संबंधित महाविद्यालय उपर्युक्त का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

7. आवेदन करने पर विद्यार्थियों हेतु समर्पित करने वाले उनके Score Card में RANK, उनके आरक्षण कोटि तथा उनके द्वारा दिये गये संस्थान के विकल्प के आधार पर डी0एल0एड0 कोर्स संचालित संस्थानों में नामांकन हेतु समिति द्वारा दिनांक 11.11.2023 को प्रथम चयन सूची प्रकाशित की जायेगी। उक्त सूची में चयनित विद्यार्थियों का संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों में दिनांक 13.11.2023 से 18.11.2023 तक नामांकन किया जाएगा।

8. नामांकन की अवधि में सभी प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य/विभागाध्यक्ष तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों को उपस्थित रहना अनिवार्य है, जो इन विद्यार्थियों के नामांकन संबंधित सभी कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। नामांकन कार्य रविवार को भी किया जायेगा। डी0एल0एड0 कोर्स में नामांकन के लिये विद्यार्थियों की सुविधा के लिये आवश्यकता का आकलन कर पर्याप्त संख्या में काउन्टरों की व्यवस्था की जाएगी, जिससे नामांकन की प्रक्रिया सुगम हो सके।

9. डी0एल0एड0 संबद्धता कोषांग के माध्यम से ERC NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्रदत्त राज्य के सरकारी एवं निजी डी0एल0एड0 कोर्स संचालित संस्थानों में नामांकन हेतु अभ्यर्थियों का चयन निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर की जाएगी :-

क. विद्यार्थियों के प्रवेश परीक्षा का Score (Rank)

ख. डी0एल0एड0 कोर्स संचालित महाविद्यालयों में स्वीकृत सीट की संख्या

ग. विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये संस्थान के विकल्प

घ. आरक्षण संबंधी राज्य सरकार के प्रभावी प्रावधान

9.1 डी0एल0एड0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2023 में अनुतीर्ण किसी भी आवेदक का किसी भी महाविद्यालय में नामांकन हेतु चयन नहीं किया जाएगा।

9.2 अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में समिति द्वारा डी0एल0एड0 संस्थान में नामांकन हेतु प्रथम चयन सूची (First Selection List) दिनांक 11.11.2023 को जारी किया जाएगा, जिसे संबंधित महाविद्यालय के उनके Login ID पर भेज दिया जायेगा। Cut Off Rank (आरक्षण श्रेणीवार) भी समिति के Portal पर दिनांक 11.11.2023 को जारी की जाएगी। जिसे आवेदक समिति के पोर्टल deled.biharboardonline.com पर देख सकते हैं। इसके साथ ही सभी आवेदकों को उनके Login ID में प्रथम सूचना पत्र (Intimation Letter) भी जारी किया जाएगा, जिसे वे Portal पर अपना ID एवं Password डालकर देख सकते हैं तथा Download कर सकते हैं। इस हेतु सभी चयनितों को SMS भी भेजा जायेगा।

10. चयनित आवेदक संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य से सम्पर्क स्थापित करेंगे। संबंधित डी0एल0एड0 कोर्स संचालित संस्थान के प्राचार्य उक्त सूचना पत्र (Intimation Letter) एवं डाउनलोड एवं प्रिंट किये गये सूचना पत्र (Intimation Letter), Common Application Form का प्रिंट आउट सहित अन्य सभी मूल अभिलेख यथा- 10वीं बोर्ड परीक्षा का अंक पत्रक, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, विद्यालय परित्याग पत्र, 12वीं0 परीक्षा का अंक पत्रक, प्रमाण पत्र, महाविद्यालय परित्याग







प्रमाण पत्र, प्रवजन प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा कोई अन्य प्रमाण पत्र जो आवंटित महाविद्यालय द्वारा मांगी जाय तथा उन प्रमाण पत्रों की स्वहस्तक्षारित दो-दो प्रतिलिपि एवं पासपोर्ट आकार के पाँच रंगीन फोटो लेकर संबंधित प्राचार्य से सम्पर्क कर अपना नामांकन करायेंगे। प्राचार्य नामांकन के पूर्व मूल से मिलान कर विद्यार्थी का नामांकन लेंगे एवं Portal पर प्रशिक्षण संस्थान के User ID एवं Password के माध्यम से संबंधित विद्यार्थी के नामांकन की सूचना समिति हेतु संध्या 5 बजे के उपरांत प्रतिदिन अद्यतन (Updation) करेंगे। प्रथम चयन सूची (First Selection List) के आधार पर आवेदक दिनांक 13.11.2023 से 18.11.2023 की अवधि तक अपने आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन ले सकते हैं। विद्यार्थियों के लिये यह आवश्यक है कि निर्धारित तिथि दिनांक 13.11.2023 से 18.11.2023 तक वे अपना नामांकन चयनित संस्थान में अवश्य करा लें। नामांकन नहीं कराने की स्थिति में उनके नाम पर द्वितीय/तृतीय चयन सूची में विचार नहीं किया जायेगा अर्थात् उनका नाम सूची से हटा दिया जायेगा।

11. **स्लाइड अप (Slide Up) प्रक्रिया** :- यदि आवेदक प्रथम चरण में निचली प्राथमिकता वाले संस्थान में चुने जाने पर संतुष्ट नहीं है, वैसे विद्यार्थी अपने नामांकन के उपरांत दिनांक 13.11.2023 से 18.11.2023 तक पोर्टल के माध्यम से Student Login में जाकर अपने द्वारा दिये गये उच्च प्राथमिकता वाले संस्थानों में नामांकन की संभावना हेतु Slide Up विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, परन्तु नया विकल्प जोड़ अथवा बदल नहीं सकते हैं। Slide Up विकल्प चुनने के पश्चात् संबंधित विद्यार्थी को उनके द्वारा आवेदन पत्र में पहले से भरे गये उच्च प्राथमिकता वाले विकल्पों में दूसरी सूची में चयन होने की संभावना है, परन्तु द्वितीय सूची में छात्र/छात्रा का नाम चयनित होने के साथ ही उनका स्थान पूर्व आवंटित संस्थान की प्रथम सूची से रिक्त हो जायेगा।

12. जिन विद्यार्थियों को प्रथम चरण में जो प्रशिक्षण संस्थान आवंटित हुआ है वे अनिवार्य रूप से 3000/- (तीन हजार रुपया) मात्र सुरक्षा राशि आवंटित महाविद्यालय में जमा कर नामांकन लेना सुनिश्चित करेंगे, तभी उनके पास स्लाइड-अप का विकल्प होगा। यह सरकारी एवं निजी दोनों संस्थानों पर लागू होगा।

13. जो आवेदक सूचना पत्र पर आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित अवधि तक नामांकन नहीं लेते हैं, वैसे आवेदकों का अभ्यर्थित्व अगले चरणों के लिए समाप्त हो जाएगा।

14. डी0एल0एड0 प्रवेश परीक्षा, 2023 में उत्तीर्ण जिन अभ्यर्थियों के द्वारा ससमय ऑनलाइन आवेदन (CAF) भरा जाएगा, मात्र उन्हीं आवेदकों का नाम चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं किए जाने वाले डी0एल0एड0 प्रवेश परीक्षा, 2023 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा एवं तदनुसार ऐसे अभ्यर्थियों का नामांकन किसी भी संस्थान में नहीं होगा।

15. प्रथम चयन सूची में जिन विद्यार्थियों का चयन नहीं हो पाया है वैसे विद्यार्थी सत्र 2023-2024 के लिए डी0एल0एड0 कोर्स में ऑनलाइन नामांकन हेतु पोर्टल पर सभी 306 प्रशिक्षण संस्थानों के स्वीकृत सीट संख्या के साथ प्रदर्शित सूची में रिक्त रहने की स्थिति में उनका नाम द्वितीय/तृतीय चयन सूची (2nd/3rd Selection List) के लिए विचार किया जाएगा। ऐसे विद्यार्थी पोर्टल पर पूर्व में सामान्य आवेदन प्रपत्र (CAF) में सफलता पूर्वक भरे गये चयनित विकल्पों में यदि चाहें तो प्रथम चयन सूची के आधार पर नामांकन की निर्धारित अवधि के पश्चात् रिक्त सीट से संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में, नामांकन हेतु पूर्व में दिये गये विकल्प को संशोधित कर सकते हैं।

16. डी0एल0एड0 कोर्स संचालित महाविद्यालयों में नामांकन के पूर्व अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया में यदि किसी स्तर पर अथवा नामांकन प्रक्रिया में अथवा नामांकन के उपरांत किसी भी

9w

Sw



स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी नामांकन/प्रवेश हेतु अपेक्षित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/अन्य विहित योग्यता को पूर्ण नहीं करता है तो, उसका अभ्यर्थित्व/नामांकन समाप्त कर दिया जाएगा।

16.1 ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा वांछित विवरणों को सही-सही भरा जाएगा। किसी भी त्रुटिपूर्ण विवरण अंकित करने के लिए अभ्यर्थी स्वयं दोषी होंगे तथा उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा।

17. सत्र 2023-25 में नामांकन के लिये ERC NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्रदत्त जिलावार सरकारी एवं निजी प्रशिक्षण महाविद्यालय का नाम आवंटित महाविद्यालय कोड एवं स्वीकृत सीट की संख्या निम्नवत् है :-

A- राजकीय (Government) कोटि के महाविद्यालयों की सूची।

SL N	COLL. CODE	COLLEGE NAME	ALLOTTED SHEET
1	11801	District Institute of Education and Training (DIET), Shree Nagar, Purnea	150
2	12801	District Institute of Education and Training (DIET), Forbesganj, Araria	50
3	13801	District Institute of Education and Training (DIET), Kishanganj	200
4	14801	Mahatma Gandhi District Institute of Education and Training (DIET), Tikapatti, Katihar	150
5	14802	Block Institute of Education and Training, Musapur, Katihar	100
6	21801	District Institute of Education & Training (DIET), Purabsarai, Munger	100
7	21802	Primary Teacher Education College, Haweli Kharagpur, Munger	150
8	23801	District Institute of Education & Training (DIET), Lakhisarai	200
9	24801	District Institute of Education and Training (DIET), Sheikhpura	150
10	25801	District Institute of Education and Training (DIET), Ramganj, Sansarpur, Khagaria	150
11	26801	District Institute of Education and Training (DIET), Shahpur, Begusarai	150
12	26802	Primary Teacher Education College, Bishnupur, Begusarai	150
13	31801	District Institute of Education and Training (DIET), Bhagalpur	150
14	31802	Primary Teachers Education College, Nagarpara, Bhagalpur	150
15	31803	Primary Teacher Education College, Phulwaria, Bhagalpur	150
16	32801	District Institute of Education and Training (DIET), Banka	150

SL N	COLL. CODE	COLLEGE NAME	ALLOTTED SHEET
17	43801	District Institute of Education and Training (DIET), Madhepura	200
18	43802	Primary Teachers Education College, Sukhasan Manhara, Madhepura	200
19	51801	District Institute of Education and Training (DIET), Rambagh, Muzaffarpur	200
20	51802	Primary Teachers Education College, Chandwara, Muzaffarpur	150
21	51803	Primary Teachers Education College, Patahi, Muzaffarpur	200
22	51804	Primary Teachers Education College, Pokhrai, Muzaffarpur	250
23	52801	District Institute of Education & Training (DIET), Dumra, Sitamarhi.	100
24	53801	District Institute of Education & Training (DIET), Dighi, Vaishali	200
25	53802	Primary Teachers' Education College, Surhattha, Hajipur, Vaishali	150
26	54801	District Institute of Education and Training (DIET), Kumarbagh, Bettiah	150
27	54802	Block Institute of Education & Training, Balmiki Nagar, W. Champaran	50
28	55801	District Institute of Education and Training (DIET), Motihari, E. Champaran	200
29	55802	Primary Teachers Education College, Dariyapur, East Champaran	100
30	56801	District Institute of Education and Training (DIET), Sheohar	100

W

S

SL N	COLL. CODE	COLLEGE NAME	ALLOTTED SHEET
303	92808	Gorakh Singh College, Maharajganj, Siwan	50
304	92809	A Y T Teachers Training College, Sareya, Siwan	50

SL N	COLL. CODE	COLLEGE NAME	ALLOTTED SHEET
305	92810	Shyam Sai Institute of Education, Shyamdevi, Karom, Mairwa, Siwan	50
306	93802	Indrakali Ramjee Singh B.Ed. College, Koiladewa, Hathua, Gopalganj	50

कुल - 30,750 सीट

- नोट:-** 1. उपरोक्त वर्णित 306 प्रशिक्षण संस्थानों की कोडवार सूची Portal पर भी देखी जा सकती है।
2. सूची के क्रम संख्या 39, 64, 135 एवं 284 पर अंकित महाविद्यालयों के स्वीकृत सीट के विरुद्ध नामांकन हेतु मात्र महिला अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।

18. नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन शुल्क

क्र० सं०	श्रेणी	आवेदन शुल्क	प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय सूची के नामांकन के बाद कुल जितने विद्यार्थियों का नामांकन उनके प्रशिक्षण संस्थान में होगा उन सभी विद्यार्थियों की कुल संख्या के अनुसार 200/- रुपये प्रति विद्यार्थी की दर से कुल राशि Demand Draft/RTGS/NEFT के माध्यम से समिति द्वारा प्रशिक्षण संस्थानों को राशि भेज दी जायेगी। अतः कोई भी प्रशिक्षण संस्थान किसी भी विद्यार्थी से कोई आवेदन शुल्क (Application Fee) नहीं लेंगे, परंतु नामांकन के दौरान नियमानुसार नामांकन शुल्क (Admission Fee) एवं अन्य देय शुल्क (Other Applicable Fee) ही लेंगे।
1	EWS/BC/EBC एवं सामान्य वर्ग	500	
2	SC/ST एवं दिव्यांग	350	

19. नामांकन हेतु चयनित विद्यार्थी एवं संबंधित प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य के लिये आवश्यक निदेश:-

19.1. 11.11.2023 को जारी किये जाने वाले प्रथम चयन सूची में चयनित विद्यार्थियों का नामांकन 13.11.2023 से 18.11.2023 तक संबंधित संस्थानों द्वारा लिया जायेगा।

19.2. संबंधित संस्थान के प्राचार्य इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि नामांकित विद्यार्थियों की सूची पोर्टल के संस्थान Login में दिनांक 13.11.2023 से 18.11.2023 तक निश्चित रूप से प्रतिदिन संध्या 5 बजे अपलोड करते रहेंगे। ऐसा करना अनिवार्य है ताकि संबंधित विद्यार्थी जो संस्थान में नामांकन लेंगे उनकी सीट पोर्टल में भरी हुई मानी जाय एवं प्रथम चयन सूची के नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद संस्थानों में रिक्त सीटों की सूची पोर्टल के माध्यम से पता चल सके। इन्हीं रिक्त सीटों के आधार पर दूसरी चयन सूची का प्रकाशन किया जा सके।

20. उल्लेखनीय है कि प्रथम चयन सूची के तहत नामांकन के पश्चात् कई विद्यार्थियों को द्वितीय सूची में बेहतर विकल्प प्राप्त हो सकता है, जहाँ उन्हें पुनः नामांकन कराना होगा। इसके पश्चात् हो सकता है कि तृतीय अंतिम सूची में भी विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिकता वाले विकल्प प्राप्त हो, जिसमें उनके द्वारा बेहतर विकल्प के संस्थानों में नामांकन कराया जाना संभावित है। ऐसी परिस्थिति में एक ही विद्यार्थी को एक बार से अधिक बार नामांकन कराने में बार-बार नामांकन हेतु सुरक्षा शुल्क जमा करने में व्यावहारिक कठिनाई हो सकती है। अतः इस आलोक में नामांकन शुल्क जमा करने के संबंध में निम्नांकित प्रावधान किया गया है :-

20.1 किसी भी विद्यार्थी का प्रथम बार नामांकन के समय निर्धारित सुरक्षा शुल्क 3000/- रुपया डी0एल0एड0 कोर्स संचालित महाविद्यालय द्वारा लिया जाए।



20.2. तत्पश्चात् यदि किसी विद्यार्थी का अगामी द्वितीय चयन सूची अथवा तृतीय चयन सूची के आधार पर बेहतर विकल्प (Higher Preference) के संस्थान में चयन होता है, तो ऐसे संस्थानों में विद्यार्थी द्वारा पुनः नामांकन कराने के समय महाविद्यालय द्वारा ऐसे विद्यार्थियों से कोई भी नामांकन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

20.3. पूरी चयन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात् (अर्थात् प्रथम चयन सूची, द्वितीय चयन सूची तथा तृतीय सूची के तहत नामांकन के पश्चात्) जो विद्यार्थी अंतिम रूप से जहाँ नामांकित रहेंगे, उस संस्थान के प्रधान द्वारा नामांकन से संबंधित शुल्क की राशि की निम्नरूपेण समीक्षा की जायेगी :-

(क) अगर यह नामांकन प्रथम नामांकन है, तो संस्थान द्वारा नियमानुसार पूरी नामांकन राशि प्राप्त की जाय।

(ख) अगर यह द्वितीय अथवा तृतीय नामांकन है, तो यह देखा जाना होगा कि विद्यार्थी द्वारा पूर्व के संस्थान में नामांकन के समय सुरक्षा शुल्क की राशि जमा की गयी है। पूर्व के संस्थान उनके द्वारा नामांकित विद्यार्थियों से लिए गए सुरक्षा शुल्क की राशि अंतिम रूप से नामांकित संस्थान को हस्तांतरित करेंगे। सभी संस्थानों के प्राचार्य विद्यार्थी के द्वारा जमा की गई 3000/- रूपए की सुरक्षा राशि को एक माह के अंदर उस विद्यार्थी के अंतिम नामांकित संस्थान को वापस को हस्तांतरित करेंगे।

(ग) सत्र 2023-25 से संबद्धता प्राप्त जिन महाविद्यालयों को User ID एवं Password नहीं मिला है वे अपने महाविद्यालय यूजर आईडी पासवर्ड प्राचार्य स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत दूत अपने महाविद्यालय के निर्गत सम्बद्धता पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति तथा पहचान स्वरूप आधार कार्ड की मूल एवं छायाप्रति के साथ जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से सम्पर्क करके User ID एवं Password ले सकते हैं।

21. सभी संस्थानों के प्राचार्य उनके यहाँ नामांकित अभ्यर्थियों का समिति के पोर्टल पर Updation का कार्य, इस हेतु निर्धारित अवधि के अन्तर्गत, अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में नामांकन के अंतिम अवसर पर नामांकित विद्यार्थियों के Updation के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात्, उनके Updation का अनुरोध किसी भी परिस्थिति में विचारणीय नहीं होगा।

22. सत्र 2023-25 में डी०एल०एड० संस्थानों के प्राचार्य उपर्युक्त विहित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी माध्यम से किसी भी विद्यार्थी का नामांकन नहीं लेंगे। इस प्रक्रिया से इतर किसी भी प्रकार का नामांकन अवैध माना जाएगा। ऐसे नामांकित विद्यार्थियों को अनुवर्ती पंजीयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे तथा संबंधित संस्थान के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

क्र० सं०	कार्य	तिथि	अभियुक्ति
i	आवेदन की तिथि	30.10.2023 से 05.11.2023 तक	डी०एल०एड० प्रशिक्षण सत्र 2023-25 में नामांकन के लिये स्वीकृत कुल सीटों के विरुद्ध प्रथम चरण में चयनित विद्यार्थियों का नामांकन मेधा सूची एवं संस्थानों की प्राथमिकता Merit-Cum-Choice के आधार पर संस्थान आवंटन किया जायेगा। पुनः रिक्त सीटों के विरुद्ध क्रमिक रूप से आवश्यकतानुसार क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय चरण में संस्थान आवंटन उपरांत
ii	प्रथम चयन सूची जारी होने की तिथि	11.11.2023	
iii	नामांकन की अवधि	13.11.2023 से 18.11.2023 तक	
iv	प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर Login कर अंतिम रूप से सीट Updation किया जाना	21.11.2023 तक	

व

व

व



v	विद्यार्थियों द्वारा नामांकन के पश्चात् स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिये ऑनलाइन आवेदन की अवधि	13.11.2023 से 18.11.2023 तक	निदेश/प्रक्रियाओं के तहत ऑनलाइन किया जायेगा। इसके अलावा नामांकन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी पोर्टल पर प्राप्त की जा सकती है।
vi	जिस विद्यार्थी का चयन प्रथम चयन सूची में कहीं भी नहीं होता है, उसके लिये नया विकल्प भरने अथवा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने की अवधि	21.11.2023 से 22.11.2023 तक	
vii	द्वितीय सूची जारी करने की तिथि	26.11.2023	
viii	द्वितीय सूची के आधार पर नामांकन अवधि	27.11.2023 से 28.11.2023 तक	
ix	प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर Login कर अंतिम रूप से सीट अद्यतन किया जाना	29.11.2023 तक	
x	तृतीय सूची जारी करने की तिथि	01.12.2023	
xi	तृतीय सूची के आधार पर नामांकन अवधि	02.12.2023 से 04.12.2023 तक	
xii	प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर Login कर अंतिम रूप से सीट Updation किया जाना	05.12.2023	

23. यदि उक्त प्रक्रिया में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो इमेल आई.डी. deledhelpdesk1@gmail.com/coevividhbseb@gmail.com पर अथवा मोबाईल नं० 9546114508 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

ज्ञापांक- 535/पटना 2023

दिनांक- 18-10-2023

परीक्षा नियंत्रक, विविध
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

- प्रतिलिपि:-
1. जन सम्पर्क पदाधिकारी को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 2. उप निदेशक, आई0टी0 (विविध) को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रशिक्षण संस्थान के प्रधान, संबंधित एजेंसी एवं अन्य को इस विज्ञप्ति से अवगत कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।
 3. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 4. अध्यक्ष एवं सचिव के आप्त सचिव, विशेष कार्य पदाधिकारी एवं निदेशक, आई0टी0 को सूचनार्थ प्रेषित।

28/10/23

परीक्षा नियंत्रक, विविध
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना